न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
79/2021 प्रा.पत्र/2021	26.08.2021	22.01.2026
जीसीएमएस नं0 140/2021		

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री जगदीश प्रसाद साहू पुत्र श्री रामविलास साहू निवासी बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मनमोहन किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304025

2–मैसर्स मनमोहन किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज.।

3–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी प्रताप स्टेडियम के पास निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक राज.।

4–मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक राज.।

5–श्री महेश पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्रा. लि. रजि ऑफिस–2 फ्लोर, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर। पिनकोड–302001 फैक्ट्री पता– एफ–47, करतापुरा इण्ड. एरिया जयपुर। पिनकोड–302006

6–मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्रा. लि. रजि ऑफिस–2 फ्लोर, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर। पिनकोड–302001 फैक्ट्री पता– एफ–47, करतापुरा इण्ड. एरिया जयपुर। पिनकोड–302006

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 श्री पंकज कुमार
व अप्रार्थी सं. 5 व 6 स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 22/1/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.12.2020 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स मनमोहन किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर श्री जगदीश प्रसाद साहू पुत्र श्री रामविलास साहू अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री जगदीश प्रसाद साहू पुत्र श्री रामविलास साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जगदीश प्रसाद साहू पुत्र श्री रामविलास साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना बताया एवं ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **सीटीसी डस्ट चाय (माहेश्वरी ब्राण्ड)** के 250–250 ग्राम के लगभग 40 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री जगदीश प्रसाद साहू पुत्र श्री रामविलास साहू को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री जगदीश प्रसाद साहू पुत्र श्री रामविलास साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सीटीसी डस्ट चाय (माहेश्वरी ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर अनुपस्थित एवं पैंकिग की दिनांक अनुपस्थित थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 250–250 ग्राम के 8 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सीटीसी डस्ट चाय (माहेश्वरी ब्राण्ड)** 250–250 ग्राम के 8 नग मूल पैक में से दो–दो नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2721 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2721 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री जगदीश प्रसाद साहू पुत्र श्री रामविलास साहू मैसर्स मनमोहन किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्रा. लि. रजि ऑफिस–2 फ्लोर, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/4398 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2379/एक्ट/2020/2251 दिनांक 17.12.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तरीय जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सीटीसी डस्ट चाय (माहेश्वरी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 स्वयं मय अभिभाषक तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सीटीसी डस्ट चाय (माहेश्वरी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सीटीसी डस्ट चाय (माहेश्वरी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/1/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक–राज.